भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1949

(जिसका उत्तर मंगलवार, 15 मार्च, 2016 को दिया गया)

<u>नई कंपनी के निगमीकरण हेतु लगने वाले समय में कमी लाना</u>

1949. डा. के. पी. रामालिंगम :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार नई कंपनी के निगमीकरण हेतु अपेक्षित दिवसों की औसत संख्या को कम कर केवल एक से दो दिन किए जाने का प्रयास कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या यह सच है कि विगत एक वर्ष में कई कदम उठाए गए हैं और वैसे नई कंपनियों के निगमीकरण हेतु दिवसों की संख्या पहले ही कम हो गई है तथा इससे उक्त समय में और कमी आ जाएगी; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) से (घ): जी, हां। एक केन्द्रीय पंजीकरण केन्द्र (सीआरसी) का गठन किया गया है जो अगले कार्यदिवस तक ही नाम उपलब्धता के आवेदनों का निपटान करता है। इसके अतिरिक्त एक एकीकृत प्ररूप आईएऩसी-29 शुरू किया गया है। न्यूनतम प्रदत्त पूंजी की अपेक्षा समाप्त कर दी गई है। समान मुहर लगाने की अपेक्षा वैकल्पिक बनाई गई है। व्यवसाय शुरू करने के लिए घोषणा का प्ररूप जमा करना अब अपेक्षित नहीं है।

*****